



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 165 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 08 / 09 / 2020

॥ अधिसूचना ॥

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(चार) के अंतर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में सदस्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के दो आचार्यों के नामों का मनोनयन किया गया है, जो निम्नांकित है :—

1. डॉ. शम्पा चौबे,
शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. सुरेश कुमार भट्ट,
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

इनका कार्यकाल अधिसूचना की निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिए होगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव
5.9.20

पृ.क्रमांक : 166 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 08 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
5. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को
6. डॉ. शम्पा चौबे, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
7. डॉ. सुरेश कुमार भट्ट, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
8. उप कुलसचिव, गोपनीय/प्रशासन/परीक्षा/वित्त नियंत्रक/प्रभारी, आवासीय अंकेक्षण अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
9. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
10. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)